तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हु
6/12/17	वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम आगवाड़ी मे स्थित पुराने भूमि ख०न० 611, 612 किता 2 कुल रकबा 2.42है० के हि० 1/8 की खातेदारी प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी तथा ख०न० 600, 613, 614 किता 3 कुल रकबा 0.96 है० के 1/8 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड थी। प्रार्थी के पिता का दिनांक 20-1-1990 को देहान्त हो चुका है। जिसके पश्चात विरासत का नामा० सं 1483 के जरिये उक्त भूमि के हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई। जिसका जमाबंदी सं 2056-2059 के कालम सं 11 मे प्रार्थी के नाम 1/8 हिस्से की भूमि की खातेदारी दर्ज किये जाने का अंकन दर्ज है। परन्तु नये सेटलमेन्ट के दौरान उक्त पुराने भूमि ख०न० के 922 923 924 925 998 929 930 किता 7 कुल रकबा 2.42 है० एवं ख०न० 901 926 927 किता 3 रकबा 0.96 है० नवीन ख०न० कायम किये गये। इसी दौरान नवीन जमाबंदी मे अंकन दर्ज करते समय मृत खातेदार की जगह नामा० सं 1483 के अनुसार प्रार्थी का नाम दर्ज करना चाहिए था परन्तु नामा० के पूर्व की स्थिति अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज किया गया है। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है जिसकी ताईद वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र की जेरोक्स प्रति से होती है। उक्त त्रुटि एक लिपिकीय भूल है जो सहवन से होना प्रतीत होती है। जिसे दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि मे पूर्व की भांति नामा० सं 1483 तन ग्राम आगवाड़ी के अनुसार पूर्व की भांति प्रार्थी का नाम जमाबंदी में दर्ज कर रिकार्ड में दुरुस्ती करें। तदानुसार रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। ज० (जगदीश प्रसाद गौड़) (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना	